

Light Commercial Air Conditioner (LCAC)

Equipment	Short Title	Notification / Regulation /Amendment & Date	Reference IS / IEC Standard
<u>Light Commercial Air Conditioner (LCAC)</u>	14(a)	S.O. 1022(E) dated 2nd March, 2023	IS 1391 (Part 2): 2018 with all amendments
	14(b)	S.O. 1023(E) dated 2nd March, 2023	
	14(d)	No. BEE/S&L/LCAC/37/2022-23 dated 27th February, 2023	
	Amendment -1 (14a)	S.O. 2792(E) dated 20th June 2025	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244064
CG-DL-E-02032023-244064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 984]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2023/फाल्गुन 11, 1944

No. 984]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2023/PHALGUNA 11, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 02 मार्च, 2023

का.आ. 1022(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत में विनिर्मित, वाणिज्यिक रूप से क्रय या विक्रय किए जा रहे, स्थिर और परिवर्तित गति एयर कंडीशनर और एयर कूल कंडेंसरों वाले ताप पंपों के साथ सिंगल या श्री फेज नॉन डक्टेड स्प्लिट की 10.5 किलोवाट से अधिक और 18.0 किलोवाट तक की रेटेड क्षमता वाले हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनरों के लिए निम्नलिखित ऊर्जा उपभोग मानक विनिर्दिष्ट करती है, जो, -

- (क) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक, आईएस 1391 (भाग 2): 2018 के अनुसार, शीतलन क्षमता, विद्युत उपभोग, विद्युत कारक और अधिकतम प्रचालनीय स्थिति के लिए निष्पादन अपेक्षाएं पूरी करें।
- (2) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लगाए जाने वाले लेबल पर एक स्टार के अंतराल के साथ अधिकतम पांच स्टार संप्रदर्शित किए जाएंगे और हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर को उनके सापेक्ष निष्पादन मैट्रिक्स के आधार पर स्टार एक से स्टार पांच तक रेट किया जाएगा।

2. परिभाषा- इस अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- (क) “शीतलन आवर्तक ऊर्जा उपभोग” से, उपस्कर द्वारा, जब उसे सक्रिय मोड में शीतलन के लिए चलाया जाता है, तो उपभोग हुई ऊर्जा की कुल मात्रा अभिप्रेत है;
- (ख) “शीतलन आवर्तक कुल भार” से, ताप की कुल वार्षिक मात्रा अभिप्रेत है, जब उपस्कर को सक्रिय मोड में शीतलन के लिए चलाने पर भीतरी वायु से बाहर किया जाता है।

- (ग) “मॉडलों की फैमिली” से, किसी विशिष्ट ब्रांड के मॉडल की रेंज अभिप्रेत है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्टों का एकल सेट स्वीकार्य और विधिमान्य है, परन्तु यह तब, जबकि प्रत्येक मॉडल में प्रदर्शन विनिर्देश समान हों और जहां प्रत्येक मॉडल की सुसंगत भौतिक विशेषताएं, शीतलन क्षमता, विद्युत उपभोग, भारतीय आवर्तक ऊर्जा क्षमता अनुपात, स्टार रेटिंग और अन्य प्रदर्शन विशेषताएं समान हों;
- (घ) “स्थिर क्षमता एयर कंडीशनर” से, कक्ष एयर कंडीशनर का ऐसा प्रकार अभिप्रेत है, जिसमें अपनी क्षमता में परिवर्तन लाने की संभावना नहीं है;
- (ङ) “भारतीय आवर्तक ऊर्जा क्षमता अनुपात” से ताप की कुल वार्षिक मात्रा और उसी अवधि के दौरान उपस्कर द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की कुल वार्षिक मात्रा का अनुपात अभिप्रेत है, जिसे उपस्कर को सक्रिय मोड में शीतलन के लिए चलाने पर भीतरी वायु से हटाया जा सकता है;
- (च) “लेबल” से, उत्पाद और पैकिंग पर चस्पा की गई या संप्रदर्शित होने वाली कोई मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या लेखाचित्रीय सामग्री अभिप्रेत है, परन्तु यह तब, जबकि पैकिंग के अंदर उत्पाद, जिस पर लेबल लगाया गया है, इस अधिसूचना की प्रत्येक अपेक्षा को पूरा करता हो;
- (छ) “हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर” से, स्थिर और परिवर्तनीय गति एयर कंडीशनर और एयर कूल कंडीशनरों वाले ताप पंपों के साथ सिंगल या श्री फेज नॉन डक्टेड स्प्लिट की 10*5 किलोवाट से अधिक और 18*0 किलोवाट तक की रेटेड क्षमता वाले कक्ष एयर कंडीशनर अभिप्रेत हैं;
- (ज). “स्प्लिट एयर कंडीशनर” से, भीतरी यूनिट और बाहरी यूनिट अभिप्रेत है, जिसमें भीतरी यूनिट को फर्श या दीवार या छत पर लगाया जाएगा और भीतरी और बाहरी यूनिट में संपीडक, हीट एक्सचेंजर, फैन मोटर और एयर हैंडलिंग सिस्टम सम्मिलित हैं, जो दो अलग-अलग केबिनेट में लगाए जाते हैं, परन्तु यह तब, जबकि उसे प्रमुखतः एक संलग्न स्थान, कक्ष या जोन (वातानुकूलित स्थान) के लिए वातानुकूलित हवा प्रदान करने के लिए बनाया गया हो और इसमें प्रशीतन शीतलन का एक प्रमुख स्रोत और निराद्रीकरण सम्मिलित है तथा जो वायु के संचरण और फिल्टरीकरण के लिए है।
- (झ) “स्टार रेटिंग” से, किसी साधित्र/ उपस्कर पर चस्पा किए गए लेबल पर संप्रदर्शित स्टारों की संख्या अभिप्रेत है। उपलब्ध स्टार न्यूनतम एक, और एक स्टार के अंतराल पर अधिकतम पांच के बीच अलग-अलग होते हैं।
- (ञ) “लेबल की विधिमान्य अवधि” से, ऐसी समय अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए स्टार रेटिंग योजना के अधीन प्रदत्त ऊर्जा उपभोग मानक विधिमान्य माने गए हैं;
- (ट) “परिवर्तनीय क्षमता एयर कंडीशनर” से, रूम एयर कंडीशनर के प्रकार अभिप्रेत है, जहां निरंतर परिवर्तनीय क्षमता संप्रदर्शित करने के लिए पांच या अधिक चरण द्वारा परिवर्तन किया जाता है।

3. स्टार लेबल या स्टार रेटिंग योजना – (1) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनरों की स्टार स्तर या स्टार रेटिंग का अवधारण, भारतीय आवर्तक ऊर्जा क्षमता अनुपात द्वारा किया जाएगा, जिसे सारणी 3.1 से प्राप्त किया जाएगा।

सारणी 3.1

(1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2025 तक विधिमान्य)

भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात (किलोवाट घंटे/ किलो वाट घंटे)		
स्टार रेटिंग	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.70	3.09
2 स्टार	3.10	3.39
3 स्टार	3.40	3.69
4 स्टार	3.70	3.99
5 स्टार	>=4.00	

(2) मॉडलों के लिए चुना गया स्टार स्तर उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्टार स्तर बैंड की उनकी सापेक्षिक ऊर्जा दक्षताओं की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं पर आधारित होगा।

(3) स्टार रेटिंग स्तरों के लिए कोई ऋणात्मक सह्यता नहीं होगी और सभी परीक्षित उपस्कर को प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम सीमा को पूरा करना होगा और विनिर्माता द्वारा, पूर्णांकन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, स्टार रेटिंग का अवधारण करते समय विनिर्माण सहनशीलता और अन्य विविधताओं के लिए विस्तार का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात् -

- (i) विद्युत उपभोग, शीतलन आवर्तक कुल भार, शीतलन आवर्तक ऊर्जा उपभोग के शीतलन आवर्तक के मानों को पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया जाएगा और दो दशमलव स्थानों तक अभिलिखित किया जाएगा।
- (ii) ऊर्जा दक्षता अनुपात या भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात के मानों को पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया जाएगा और दो दशमलव स्थानों तक अभिलिखित किया जाएगा; और
- (iii) सभी मानों को आईएस 2 के अनुसार संबंधित महत्वपूर्ण अंकों तक पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया जाएगा।

(4) स्टार स्तर योजना प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् या विधिमान्यता अवधि समाप्त होने से पूर्वतर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षित की जाएगी।

4. परीक्षण पद्धतियाँ -

- (1) प्रत्येक रूम एयर कंडीशनर का परीक्षण सभी संशोधनों सहित आईएस 1391 (भाग 2) के नवीनतम संस्करण के अनुसार, भीतरी वायु तापधारिता का उपयोग करते हुए किया जाएगा।
- (2) शीतलन क्षमता, विद्युत उपभोग, विद्युत कारक, अधिकतम प्रचालनीय स्थिति, भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात की गणना की पद्धति और परीक्षण प्रोटोकॉल भी आईएस 1391 (भाग 2) के अनुसार होंगे।
- (3) उक्त मॉडल की दो यूनिटों को शीतलन क्षमता, विद्युत उपभोग, अधिकतम प्रचालनीय ताप के लिए परीक्षित कराया जाएगा।
- (4) शीतलन आवर्तक कुल भार, शीतलन आवर्तक ऊर्जा उपभोग और भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात की गणना की पद्धति आईएस 1391 (भाग 2) के अनुसार होगी।
- (5) शीतलन आवर्तक कुल भार, शीतलन आवर्तक ऊर्जा उपभोग और भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात के मूल्यांकन की पद्धति सारणी -1 में यथा प्रदत्त प्रति वर्ष शीतलन के लिए, 24-43 डिग्री सेल्सियस की बिन तापमान श्रेणी और 1600 वार्षिक प्रचालन घंटों के आधार पर है।
- (6) प्रत्येक बिन तापमान के लिए बिन घंटे सारणी -1 में दिए गए हैं :-

सारणी 4.1: संदर्भ बाहरी तापमान बिन वितरण

तापमान से. में	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	कुल
औसत वार्षिक घंटे	527	590	639	660	603	543	451	377	309	240	196	165	130	101	79	59	44	31	20	10	5774
भाग	9.1	10.2	11.1	11.4	10.4	9.4	7.8	6.5	5.4	4.2	3.4	2.9	2.3	1.7	1.4	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	100
बिन घंटे	146	163	177	183	167	150	125	104	86	67	54	46	36	28	22	16	12	9	6	3	1600

5. सहनशीलता – परीक्षित किए जा रहे प्रत्येक रूम एयर कंडीशनर यूनिट के लिए नीचे यथावर्णित निष्पादन मापदंडों पर निम्नलिखित सहनशीलता लागू होगी, अर्थात् :-

- (1) पूर्ण क्षमता पर मापित मानक शीतलन क्षमता रेटेड मान का 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

- (2) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मापित मानक शीतलन क्षमता, पूर्ण क्षमता के ± 5 प्रतिशत से अधिक तक परिवर्तित नहीं होगी।
- (3) पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन के लिए मापित विद्युत उपभोग, रेटेड मान से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और
- (4) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन के लिए मापित विद्युत उपभोग, पूर्ण क्षमता पर पचास प्रतिशत पर रेटेड विद्युत उपभोग के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. परीक्षण रिपोर्ट – परीक्षित किए जा रहे रूम एयर कंडीशनर की प्रत्येक यूनिट के परीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट उपाबद्ध-क में संलग्न प्ररूप के अनुसार दी जाएगी।

[फा. सं. 10/9/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अतिरिक्त सचिव

उपाबंध क

(परीक्षण के परिणाम सभी संशोधनों के साथ आईएस 1391 (भाग 2) के अनुसार रिपोर्ट किए जाएंगे)

परीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

परीक्षण रिपोर्ट संख्या :

परीक्षण की तारीख :

1. परीक्षित रूम एयर कंडीशनर के नमूने के ब्यौरे :

- (i) ब्रांड :
- (ii) मॉडल का नाम (यदि लागू हो) :
- (iii) मॉडल का नंबर: (भीतरी यूनिट) :
- (iv) मॉडल का नंबर: (बाहरी यूनिट) :
- (v) एयर कंडीशनर का प्रकार : केवल शीतलन/ केवल तापन/ शीतलन और तापन के लिए :
- (vi) क्या इस एयर कंडीशनर में एक परिवर्तनीय गति संपीडक का उपयोग किया गया है :(हां/नहीं)
- (vii) नॉन-डक्टेड स्प्लिट सिस्टम भीतरी यूनिट - माउंटेड/ अंडर सीलिंग/ फ्लोर माउंटेड :
- (viii) भीतरी यूनिट की परीक्षित यूनिट का क्रमांक :
- (ix) बाहरी यूनिट की परीक्षित यूनिट का क्रमांक :
- (x) भीतरी/बाहरी यूनिट की रेटेड वोल्टेज (V) (सिंगल/ थ्री फेज) :
- (xi) पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन की रेटेड आवृत्ति Hz :
- (xii) पूर्ण क्षमता पर रेटेड मानक शीतलन क्षमता, W :
- (xiii) पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन क्षमता पर रेटेड विद्युत उपभोग, W :
- (xiv) रेटेड तापन क्षमता (जहां लागू हो) :
- (xv) रेटेड तापन विद्युत इनपुट, तापन (जहां लागू हो) :
- (xvi) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर रेटेड मानक शीतलन, W :
- (xvii) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत मानक शीतलन की रेटेड विद्युत उपभोग, W :
- (xviii) विनिर्माण का वर्ष :

2. प्रत्येक परीक्षण प्रकार के लिए, जैसा लागू हो, नीचे दी गई विशिष्टियों की एक अलग प्रति पूरी करके संलग्न करें :

- (i) परीक्षण की तारीख :
- (ii) परीक्षण रिपोर्ट संख्या :
- (iii) परीक्षण कार्मिक का नाम :
- (iv) किए गए परीक्षणों की प्रकृति :
 - क. शीतलन क्षमता :
 - ख. अधिकतम प्रचालनीय स्थिति :
 - ग. विद्युत कारक :
 - घ. विद्युत उपभोग :
 - ड. आईएसईईआर :
- (v) सांकेतिक परीक्षण स्थिति :
- (vi) परीक्षण कक्ष टाइप भीतरी उपस्कर : ऊष्मामापी/ तापधारिता परीक्षण कक्ष :
- (vii) परीक्षण कक्ष टाइप बाहरी उपस्कर : ऊष्मामापी/ तापधारिता परीक्षण कक्ष :
- (viii) परीक्षण स्थिति :
- (ix) भीतरी यूनिट / बाहरी यूनिट की आपूर्ति वोल्टेज (V) :
- (x) आपूर्ति आवृत्ति : Hz
- (xi) रेटेड स्थिति में औसतन पूर्ण भार करंट (एंपीयर्स):
- (xii) स्थिरीकरण की अवधि (मिनट) :
- (xiii) परीक्षण की अवधि (मिनट) :
- (xiv) भीतरी स्थिति – मध्यम ड्राई बल्ब (°C) :
- (xv) भीतरी स्थिति - अधिकतम परिवर्तनीयता शुष्क बल्ब (अधिकतम - न्यूनतम) (°C) :
- (xvi) भीतरी स्थिति – मध्यम आर्द्र बल्ब (°C) : (जहां लागू हो) :
- (xvii) भीतरी स्थिति - अधिकतम परिवर्तनीयता आर्द्र बल्ब (अधिकतम - न्यूनतम) (°C) : (जहां लागू हो) :
- (xviii) पंखे की सेटिंग :
 - क. औसत वात प्रवाह परिमाण (मी./ घंटा) :
 - ख. भीतरी बाह्य स्थैतिक दबाव (पीए) : (केवल डक्टेड यूनिट) :
- (xix) बाहरी स्थिति – मध्यम शुष्क बल्ब (डिग्री सेल्सियस):
- (xx) बाहरी स्थिति - अधिकतम भिन्नता शुष्क बल्ब (अधिकतम - न्यूनतम) (°C) :
- (xxi) बाहरी स्थिति – मध्यम आर्द्र बल्ब (°C) :
- (xxii) बाहरी स्थिति - अधिकतम भिन्नता आर्द्र बल्ब (अधिकतम - न्यूनतम) (°C) :
- (xxiii) रीडिंग आवृत्ति (मिनट) :

3. परीक्षण का सार**(1) शीतलन क्षमता परीक्षण :**

	मापदंड	मान
मापित मापदंड	i) मापित संवदेनशील शीतलन क्षमता (W)	
	ii) मापित भीतरी शीतलन क्षमता	
	iii) पूर्ण क्षमता पर मापित कुल शीतलन	
	iv) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मापित कुल शीतलन (W) यदि लागू हो	
रेटेड मापदंड	i) पूर्ण क्षमता पर घोषित कुल शीतलन (W)	
	ii) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर घोषित कुल शीतलन (W) (यदि लागू हो)	

(2) विद्युत उपभोग और विद्युत कारक परीक्षण :

	मापदंड	मान
मापित मापदंड	i) पूर्ण क्षमता पर मापित कुल विद्युत उपभोग (W)	
	ii) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मापित कुल विद्युत उपभोग (W) (यदि लागू हो)	
रेटेड मापदंड	i) पूर्ण क्षमता पर घोषित विद्युत उपभोग (W)	
	ii) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर घोषित विद्युत उपभोग (W) (यदि लागू हो)	
मापित मापदंड	विद्युत कारक	
रेटेड मापदंड	विद्युत कारक	

(3) आईएसईईआर के लिए परीक्षण परिणाम :

मापदंड	मापित मान	घोषित मान
शीतलन आवर्तक कुल भार (केलोवाट घंटे)		
शीतलन आवर्तक ऊर्जा उपभोग (केलोवाट घंटे)		
भारतीय आवर्तक दक्षता अनुपात (केलोवाट घंटे/ किलोवाट घंटे)		
स्टार रेटिंग		

(4) अधिक प्रचालनीय स्थिति के लिए परीक्षण :

अधिकतम प्रचालनीय परीक्षण के लिए परिणाम ? सफल/ विफल

(5) अतिरिक्त परीक्षण :

24- डिग्री सेल्सियस पर कक्ष एयर कंडीशनर की डिफाल्ट तापमान सेटिंग ? : हां/ नहीं

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2023

S.O. 1022(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies, the following energy consumption standards for light commercial air conditioners having rated capacity above 10,500 Watts up to and including 18,000 Watts of single or three phase non-ducted split with fixed and variable speed air conditioner and heat pumps employing air cooled condensers, being manufactured, commercially purchased or sold in India shall.-

(a) meet the performance requirements for cooling capacity, power consumption, power factor and maximum operating condition in accordance with Indian Standard, IS 1391 (Part 2) : 2018 with all amendments.

(2) The label to be affixed on light commercial air conditioner shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the light commercial air conditioner shall be rated from star one to star five based on their relative performance matrix.

2. Definitions.—In this notification, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Cooling Seasonal Energy Consumption” means The total annual amount of energy consumed by the equipment when it is operated for cooling in active mode;
- (b) “Cooling Seasonal Total Load” means The total annual amount of heat that is removed from the indoor air when the equipment is operated for cooling in active mode;
- (c) “Family of models” means The range of models of a particular brand, to which a single set of test reports is acceptable and valid subject to the condition that each of the models has the same performance specifications and where each of the models has the same relevant physical characteristics, cooling capacity, power consumption, Indian seasonal energy efficiency ratio, star rating and other performance characteristics;
- (d) “Fixed Capacity Air Conditioner” means The type of room air conditioner, which does not have the possibility to change its capacity;
- (e) “Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio” means The ratio of the total annual amount of heat that the equipment can remove from the indoor air when operated for cooling in active mode to the total annual amount of energy consumed by the equipment during the same period;
- (f) “Label” means any printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing on the product and the packaging provided that the product inside the packaging to which the label is applied conforms to every requirement of this notification;
- (g) “Light Commercial Air Conditioners” means room air conditioners having rated capacity above 10,500 Watts up to and including 18,000 Watts of single or three phase non-ducted split with fixed and variable speed air conditioner and heat pumps employing air cooled condensers;
- (h) “Split Air Conditioner” means comprises of Indoor unit and Outdoor unit, the Indoor unit shall be mounted on floor or wall or ceiling and the indoor and outdoor unit consists of compressor, heat exchangers, fan motors and air handling system installed in two separate cabinets provided that it is designed primarily to provide conditioned air to an enclosed space, room or zone (conditioned space) and it includes a prime source of refrigeration cooling and dehumidification and means for the circulation and filtering of air;
- (i) “Star Rating” means number of stars displayed on the label affixed on an appliance/equipment. The available stars vary between a minimum of one and a maximum of five with one-star interval;
- (j) “Validity period of Label” means the timeframe for which the energy consumption standard provided under the star rating plan stands valid;
- (k) “Variable Capacity Air Conditioner” means the type of room air conditioner, where the capacity is varied by five or more steps to represent continuously variable capacity.

3. Star level or star rating plan.—(1) The star level or star rating of light commercial air conditioners shall be determined by Indian seasonal energy efficiency ratio which shall be obtained from Table 3.1.

Table 3.1
(Valid from the 1st July, 2023 to 30th June, 2025)

Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio(kWh/kWh)		
Star Rating	Minimum	Maximum
1 Star	2.70	3.09
2 Star	3.10	3.39
3 Star	3.40	3.69
4 Star	3.70	3.99
5 Star	≥ 4.00	

- (2) The star level chosen for the models shall be based on minimum and maximum limits of their relative energy efficiencies of each star level band specified in Table above.
- (3) There shall be no negative tolerance for the star rating levels and all tested equipment shall meet the minimum threshold for each star rating level, and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating, keeping in view the following points for rounding, namely:-
- (i) the values of power consumption, cooling seasonal total load, cooling seasonal energy consumption shall be rounded off and recorded to two decimal places;
 - (ii) the values of energy efficiency ratio or Indian seasonal energy efficiency ratio shall be rounded and recorded to two decimal places; and
 - (iii) all the values shall be rounded off to respective significant figures, as per IS 2.
- (4) The star level plan shall be reviewed after every two years or before the expiry of validity period whichever is earlier.

4. Testing methods.-

- (1) Every room air conditioners shall be tested in accordance with the latest version of IS 1391 (Part 2) with all amendments using the indoor air enthalpy test method.
- (2) The methodology and the test protocol for calculating cooling capacity, power consumption, power factor, maximum operating condition, Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio shall also be in accordance with IS1391 (Part.2).
- (3) Two units of the said model shall get tested for cooling capacity, power consumption, maximum operating temperature.
- (4) Methodology of calculating Cooling Seasonal Total Load, Cooling Seasonal Energy Consumption and Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio shall be in accordance with IS1391 (part 2).
- (5) Method of evaluation of Cooling Seasonal Total Load, Cooling Seasonal Energy Consumption and Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio is based on bin temperature range of 24- 43°C and 1600 annual operating hours for cooling per annum as given in table 1.
- (6) The bin hours against each bin temperature is given in Table 1.

Table 4.1: Reference outdoor temperature bin distribution

Temperature in °C	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Total
Average Annual Hours	527	590	639	660	603	543	451	377	309	240	196	165	130	101	79	59	44	31	20	10	5774
Fraction	9.1	10.2	11.1	11.4	10.4	9.4	7.8	6.5	5.4	4.2	3.4	2.9	2.3	1.7	1.4	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	100
Bin Hours	146	163	177	183	167	150	125	104	86	67	54	46	36	28	22	16	12	9	6	3	1600

5. Tolerance. - For each unit of room air conditioner being tested, the following tolerances shall be applicable on the performance parameters as stated below, namely:-

- (1) the measured standard cooling capacity at full capacity shall not be less than 90 % of the rated value;
- (2) the measured standard cooling capacity at fifty per cent of full capacity shall not vary by more than $\pm 5\%$ of full capacity.
- (3) the measured power consumption for standard cooling at full capacity shall not be more than 10% of the rated value; and
- (4) the measured power consumption for standard cooling at fifty per cent of full capacity shall not be more than 10% of the rated power consumption at fifty per cent at full capacity;

6. Test report.—The result of test of each unit of room air conditioner being tested shall be reported in as per the format enclosed at Annexure A.

[F. No. 10/9/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Annexure A

(The results of tests shall be reported as per IS 1391 (Part 2) with all amendments)

Form for reporting the result of test

Test report number:

Date of test:

1. Details of the sample of Room Air Conditioner tested:

- (i) Brand:
- (ii) Model name: (if applicable):
- (iii) Model number: (indoor unit):
- (iv) Model number: (outdoor unit):
- (v) Air conditioner type— For cooling only/heating only/cooling and heating:
- (vi) Does this air conditioner use a variable speed compressor : (Yes/No)
- (vii) Non-ducted split system indoor unit -mounting/under ceiling/floor mounted:
- (viii) Serial number of unit tested of indoor unit:
- (ix) Serial number of unit tested of outdoor unit:
- (x) Rated voltage of indoor/outdoor unit (V) (Single/Three phase):
- (xi) Rated frequency of standard cooling at full capacity, Hz:
- (xii) Rated standard cooling capacity at full capacity, W:
- (xiii) Rated power consumption at standard cooling capacity at full capacity, W:
- (xiv) Rated heating capacity (where applicable):
- (xv) Rated effective power input, heating (where applicable):
- (xvi) Rated standard cooling at fifty per cent. of full capacity, W
- (xvii) Rated power consumption of standard cooling at fifty per cent. of full capacity, W
- (xviii) Year of manufacture:

2. Complete and attach a separate copy of the particulars below for each test type, as applicable:

- (i) Date of test:
- (ii) Test report Number:

- (iii) Name of testing personnel:
- (iv) Nature of tests conducted:
 - a. Cooling capacity:
 - b. Maximum operating condition:
 - c. Power factor
 - d. Power consumption:
 - e. ISEER:
- (v) Nominal test condition:
- (vi) Test room type indoor equipment: Calorimeter/Enthalpy test room:
- (vii) Test room type outdoor equipment: Calorimeter/Enthalpy test room:
- (viii) Test Condition:
- (ix) Supply voltage of Indoor unit/ Outdoor unit (V):
- (x) Supply frequency: Hz
- (xi) Average full load current at the rated condition (amps):
- (xii) Stabilization period (minutes):
- (xiii) Test period (minutes):
- (xiv) Indoor condition – mean dry bulb (°C):
- (xv) Indoor condition – maximum variation dry bulb (Max – min) (°C):
- (xvi) Indoor condition – mean wet bulb (°C): (where applicable):
- (xvii) Indoor condition – maximum variation wet bulb (max – min) (°C): (where applicable):
- (xviii) Fan setting:
 - a. Average air flow volume (m/hour):
 - b. Indoor external static pressure (Pa): (ducted units only):
- (xix) Outdoor condition – mean dry bulb (°C):
- (xx) Outdoor condition – maximum variation dry bulb (max – min) (°C):
- (xxi) Outdoor condition – mean wet bulb (°C):
- (xxii) Outdoor condition – maximum variation wet bulb (max – min) (°C):
- (xxiii) Reading frequency (minutes):

3. Test summary

(I) Cooling Capacity Tests

	Parameters	Values
Measured parameters	i) Measured sensible cooling capacity (W)	
	ii) Measured latent cooling capacity	
	iii) Measured total cooling at full capacity	
	iv) Measured total cooling (W) at fifty percent of full capacity (if applicable)	
Rated Parameters	i) Declared total cooling (W) at full capacity	
	ii) Declared total cooling (W) at fifty percent of full capacity (if applicable)	

(2) Power consumption and Power Factor Tests

	Parameters	Values
Measured Parameters	i) Measured Total power consumption (W) at full capacity	
	ii) Measured Total power consumption (W) at fifty percent of full capacity (if applicable)	
Rated Parameters	i) Declared power consumption (W) at full capacity	
	ii) Declared power consumption (W) at fifty percent of full capacity (if applicable)	
Measured Parameter	Power Factor	
Rated Parameter	Power Factor	

(3) Test Results for ISEER:

Parameters	Measured Value	Declared Value
Cooling Seasonal Total Load(kWh)		
Cooling seasonal Energy Consumption (kWh)		
Indian seasonal Energy Efficiency Ratio kWh/kWh		
Star Rating		

(4) Test for Maximum Operating Condition

Result for Maximum operating test? Pass/Fail

(5) Additional Tests:

Default temperature setting of the room air conditioner at 24-degree Celsius? Yes/No

अधिसूचना

नई दिल्ली 02 मार्च, 2023

का.आ. 1023(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, सभी संशोधनों सहित आईएस 1391 (भाग 2): 2018 के विस्तार के अधीन सम्मिलित 10.5 किलोवाटसे अधिक और 18.0 किलोवाट तक की रेटेड क्षमता के स्थिर और परिवर्तनीय गति एयर कंडीशनर और वायु एयर कूल कंडेंसरों वाले ताप पंपों के साथ सिंगल अथवा श्री फेज नॉन डक्टेड स्प्लिट के लिए अपेक्षा को विनिर्दिष्ट करती है और निदेश देती है कि विनिर्मित या विक्रय या क़य या भारत में विक्रय के लिए आयात किए जा रहे ऐसे किसी साधित्र सा साधित्रों के वर्ग पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनरों के लेवल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति में लेबलों पर विशिष्टियों का संप्रदर्शन किया जाएगा।

[फा. सं. 10/9/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अतिरिक्त सचिव

(2) Power consumption and Power Factor Tests

	Parameters	Values
Measured Parameters	i) Measured Total power consumption (W) at full capacity	
	ii) Measured Total power consumption (W) at fifty percent of full capacity (if applicable)	
Rated Parameters	i) Declared power consumption (W) at full capacity	
	ii) Declared power consumption (W) at fifty percent of full capacity (if applicable)	
Measured Parameter	Power Factor	
Rated Parameter	Power Factor	

(3) Test Results for ISEER:

Parameters	Measured Value	Declared Value
Cooling Seasonal Total Load(kWh)		
Cooling seasonal Energy Consumption (kWh)		
Indian seasonal Energy Efficiency Ratio kWh/kWh		
Star Rating		

(4) Test for Maximum Operating Condition

Result for Maximum operating test? Pass/Fail

(5) Additional Tests:

Default temperature setting of the room air conditioner at 24-degree Celsius? Yes/No

अधिसूचना

नई दिल्ली 02 मार्च, 2023

का.आ. 1023(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, सभी संशोधनों सहित आईएस 1391 (भाग 2): 2018 के विस्तार के अधीन सम्मिलित 10.5 किलोवाटसे अधिक और 18.0 किलोवाट तक की रेटेड क्षमता के स्थिर और परिवर्तनीय गति एयर कंडीशनर और वायु एयर कूल कंडेंसरों वाले ताप पंपों के साथ सिंगल अथवा श्री फेज नॉन डक्टेड स्प्लिट के लिए अपेक्षा को विनिर्दिष्ट करती है और निदेश देती है कि विनिर्मित या विक्रय या क़य या भारत में विक्रय के लिए आयात किए जा रहे ऐसे किसी साधित्र सा साधित्रों के वर्ग पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनरों के लेवल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति में लेबलों पर विशिष्टियों का संप्रदर्शन किया जाएगा।

[फा. सं. 10/9/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अतिरिक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2023

S.O. 1023(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the requirement for single or three phase non-ducted split with fixed and variable speed air conditioner and heat pumps employing air cooled condensers having rated capacity above 10.5 kW up to and including 18.0 kW covered under the scope of IS 1391 (Part 2): 2018 with all amendments and direct that any such appliance or class of appliance being manufactured or sold or purchased or imported for sale in India shall display particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2023.

[F. No. 10/9/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022023-243957
CG-DL-E-28022023-243957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]
No. 137]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2023/फाल्गुन 8, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2023/PHALGUNA 8, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

संख्या बीईई/एसएंडएल/एलसीएसी/37/2022-23.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित प्रारूप विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 को अधिसूचना सं. बीईई/एसएंडएल/37/2022-23 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियम की प्रतियां जनता को 24 अगस्त, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियम के बाबत सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) “प्ररूप” से इन विनियमों के साथ संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ग) “लेबल” से किसी भी लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या लेखाचित्रीय पदार्थ अभिप्रेत है जो हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर चिपकाया गया है या उस पर दिखाई दे रहा है;
- (घ) “हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर” से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूम एयर कंडीशनर है। इसमें 10°5 किलोवाट से ऊपर और 18°0 किलोवाट तक रेटेड क्षमता वाले हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर सम्मिलित हैं;
- (ङ.) “लेबल अवधि” से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत उपभोग मानकों की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है:

परंतु, यदि लेबल विधिमान्यता अवधि की समाप्ति की समय-सीमा तक, अधिनियम की धारा 14 (क) के अधीन नए ऊर्जा उपभोग मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, विद्यमान मानकों को तब तक विधिमान्य समझा जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते;

- (च) “अनुज्ञापत्रधारी” से एक व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई है;
- (छ) “अनुसूची” से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ज) “स्टार रेटिंग या स्टार स्तर” से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत उपभोग मानकों के आधार पर हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता की श्रेणी अभिप्रेत है;
- (झ) किसी हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के संबंध में “व्यापारी या विक्रेता” से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर को बेचता या वितरित करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और अनुज्ञापत्रधारी सम्मिलित हैं जिन्हें ऐसे एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. लेबल पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां - (1) प्रत्येक हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर, निम्नलिखित विशिष्टियाँ उसके लेबल पर संप्रदर्शित की जाएंगी, अर्थात्:-

- (क) स्टार स्तर;
- (ख) भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात;
- (ग) लेबल विधिमान्यता की अवधि;
- (घ) एयर कंडीशनर के साधित्र या प्रकार;
- (ङ) विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और ब्रांड;
- (च) मॉडल तथा विविनिर्माण या आयात का वर्ष;
- (छ) शीतलन क्षमता (शत प्रतिशत) वाट में;
- (ज) शीतलन क्षमता (पचास प्रतिशत) वाट में;
- (झ) ऊर्जा उपभोग यूनिट प्रति वर्ष में;
- (ञ) संपीडक प्रकार;
- (ट) ऊर्जा दक्षता व्यूरो का लोगो;
- (ठ) साधित्र का नाम और

(ड) यूनिट श्रृंखला कोड;

(2) लेबल का डिज़ाइन, रंग, आकार और विषय-वस्तु इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगी।

4. लेबल संप्रदर्शित करने की समय सीमा

(1) स्वैच्छिक से अनिवार्य व्यवस्था तक पारगमन - विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला एक लेबल इन विनिबंधनों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर संप्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अनिवार्य ऊर्जा उपभोग मानकों का पुनरीक्षण.- अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित विद्युत उपभोग मानकों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता-

(क) पिछले ऊर्जा उपभोग मानकों वाले हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर का उत्पादन नहीं करेगा;

(ख) पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानकों के साथ तुल्यकालन करते हुए पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानक के साथ ऊर्त स्टार स्तर और लेबल अवधि और हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर का विनिर्माण वर्ष प्रदर्शित किया जाएगा;

(ग) व्यवहारियों, खुदरा विक्रेताओं की जागरूकता, उनकी शिक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित प्रचार सहित प्रारंभिक कदम सुनियोजित हों और कार्रवाई तीन मास पहले की जाए।

5. लेबल संप्रदर्शित करने की रीति - (1) प्रत्येक विनिर्माता, विक्रेता या व्यापारी प्रत्येक हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर विक्रय के समय फ्रंट पैनल पर दोनों तरफ एक लेबल संप्रदर्शित करेगा और ऐसा लेबल उस पर संप्रदर्श फ्रंट पर स्विंग टैग के रूप में चस्पा या संलग्न किया जाएगा।

(2) जो यूनिटें संप्रदर्शन नहीं कर रही हैं, वहाँ लेबल को हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के आवरण के बाहरी भाग पर संलग्न किया जा सकेगा और लेबल को यूनिट में तभी संलग्न किया जा सकेगा जब उसकी पैकेजिंग से यूनिट को हटा दिया गया हो या लेबल को उपभोक्ता या उपयोक्ता को दिए गए प्रलेखों (दस्तावेजों) के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया हो।

6. लेबल संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा - (1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।

(2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण: - ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड प्ररूप 1 - (क) में यथानिर्दिष्ट पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जिसमें एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस होगा, जो संदाय के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय होगा:

परन्तु लघु उद्योग के मामले में लेबल प्रतिभूति फीस केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।

(3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण - उपविनियम (2) के अधीन अनुज्ञा के प्रत्येक आवेदन के साथ-साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) प्रति मॉडल दो हजार रुपए की आवेदन फीस, जो संदाय के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है; और ; तथा

(ख) प्ररूप 1 - (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज।

7. अनुज्ञा प्रदान करना:- (1) विनियम 6 के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने पर और समाधान होने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो मानकों और लेबलिंग पर अपने मैनुअल में यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विनियम 8 में यथानिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन हो सकेगा जो-

(क) ब्रांड को प्ररूप 2-(क) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्ट्रीकृत करें; तथा

(ख) प्ररूप 2-(ख) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करना।

(2) ब्यूरो प्ररूप 3 में विनिर्दिष्ट एक रजिस्टर बनायेगा और उसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम दर्ज करेगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन दी गई अनुज्ञा उस अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर लागू है।

- (4) स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापत्रधारी द्वारा एक मास के लिए किया जाएगा किंतु इसकी समाप्ति के पहले नहीं किया जाएगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक हजार रुपए की फीस के साथ देय होगा।

परंतु, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपए की उक्त नवीनीकरण फीस से छूट दी जाएगी।

- (5) उपविनियम (4) के अधीन नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और समाधान होने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, प्ररूप 2 - (ख) में अनुज्ञा का नवीनीकरण कर सकेगा।
- (6) विधिमान्यता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी आवेदन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन करना होगा।
- (7) ऐसा अनुज्ञापत्रधारी जो उस तारीख से हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा चाहता है, जिस तारीख से पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त होता है, वह प्ररूप 4
- (8) अनुज्ञापत्रधारी नए सिरे से लेबल लगाने के लिए अनुज्ञा लेने का प्रयास करेगा, यदि हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के नए मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ तुल्यकालन किया जाना है, और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पुनरीक्षित स्टार स्तर के प्रवृत्त होने के छह मास पहले किया जाएगा।

8. लेबल पर विशिष्टियों को संप्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, विक्रेता या व्यापारी लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करने में निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्:-

- (क) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;
- (ख) लेबल केवल हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है;
- (ग) अनुज्ञापत्रधारी अपनी लागत पर लेबल को मुद्रित करेगा और हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर चिपकाएगा;
- (घ) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल सभी समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
- (ङ) विनियम में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा;
- (च) लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के व्यौरों से अंतर्विष्ट विशिष्टियां और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भूत फीस ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी;
- (छ) प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास के 30वें दिन तक अपने लेबल वाले उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त प्राधिकृत वितरकों, व्यवहारियों, खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी; और
- (ज) ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया जाएगा जिन्हें ब्यूरो मानकों और लेबलिंग पर ब्यूरो के प्रचालन मैनुअल में निहित निबंधनों सहित विनिर्दिष्ट करेगा।

9. लेबल फीस: - (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर तीस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा।

- (2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी:

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (2) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस से उस पर दस प्रतिशत की दर से व्याज सहित संदत्त शोध रकम वसूल कर सकेगा और यदि संदाय की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर लेबलिंग फीस की कुल रकम की वसूली नहीं की जाती है, तो ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को दिए गए सभी लेबलों को रद्द कर सकेगा और समाचार पत्रों में व्यतिक्रम के रूप में अनुज्ञापत्रधारी का नाम प्रकाशित कर सकेगा।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय: - विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अधीन, अनुज्ञापत्रधारी हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति फीस के संदाय का हकदार होगा।

- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन -** (1) ब्यूरो स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर स्टार स्तर और उसके लेबल पर संप्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और कि अनुज्ञा के अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करता है। विद्युत उपभोग, क्षमता परीक्षण, विद्युत कारक और अधिकतम प्रचालन स्थिति परीक्षण सहित सभी परीक्षण ब्यूरो द्वारा या इसके अभिहित अभिकरण के माध्यम से सत्यापन और चुनौती परीक्षण के प्रयोजन से एन्थेलपी पद्धति या कैलोरीमीटर का उपयोग करके आयोजित किए जाएंगे।
- (2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, नमूने को ब्यूरो या इसके अभिहित अभिकरण द्वारा विविनिर्माण सुविधा, गोदाम या खुदरा आउटलेट से यादृच्छिक रूप से उठाया जाएगा जो वह ठीक समझे।
- (3) जहाँ, उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त की गयी शिकायत पर, ब्यूरो को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर का परीक्षण करके सत्यापन करना अपेक्षित है और वहाँ ऐसे परीक्षण करने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को एक सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय से संबंधित जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किये जाएं, ऐसे व्यय को ब्यूरो के पास जमा करने के लिए कहा जाएगा।
- (4) यदि चुनौती परीक्षण के अधीन लिया गया नमूना असफल हो जाता है, तो यथाविनिर्दिष्ट सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ब्यूरो को की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को उपरोक्त व्यय वापस कर देगा; और जहाँ उपस्कर चुनौती परीक्षण पास करता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए व्यय को समपहृत कर लिया जाएगा।
- (5) जहाँ परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर का एक नमूना स्वतः परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में असफल रहता है, ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को एक और अवसर प्रदान करेगा और पहले परीक्षण में उपयोग किए गए हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर की दोगुनी मात्रा के साथ दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा। यह जाँच-परीक्षण, एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में होगा, जो उस प्रयोगशाला से अलग होगा जहाँ पहला जाँच परीक्षण किया गया था और अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित होगा।
- (6) ब्यूरो उपविनियम (3) में निर्दिष्ट चुनौती परीक्षण या उपविनियम (4) में निर्दिष्ट दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले व्ययों को देखने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा।
- (7) जहाँ पर, अनुज्ञापत्रधारी ऐसे व्यय करने में असफल रहता है, वहाँ ब्यूरो -
- (क) उपविनियम (3) में निर्दिष्ट चुनौती परीक्षण या उपविनियम (4) में निर्दिष्ट दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा;
 - (ख) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन की आगे की प्रक्रिया को रोकेगा;
 - (ग) प्ररूप 5 के जारी होने की तारीख से छह मास के पश्चात्, विनियम 7 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को दिए गए सभी लेबल रद्द कर देगा।
- (8) जहाँ पर दूसरा परीक्षण असफल हो जाता है, ब्यूरो -
- (क) सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचना के अधीन प्ररूप 6 में अनुज्ञापत्रधारी को निदेश देगा कि दो मास की अवधि के भीतर अनुज्ञापत्र धारी -
 - (i) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल में सुधार करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा;
 - (ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लेगा; और
 - (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।
 - (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में किसी भी अनुज्ञापत्रधारी, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश का नाम और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा, जो वह दो मास के भीतर ठीक समझे;

(ग) संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

(9) अनुज्ञापत्रधारी, उपविनियम (7) में विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि के समापन के दस दिनों के भीतर, निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के बाबत प्ररूप 7 में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजेगा।

(10) यदि उपविनियम (8) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी निदेश का पालन किए बिना प्राप्त या प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि जारी किए गए निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और ब्यूरो उस प्रभाव का आदेश देगा।

(11) ब्यूरो उपविनियम (8) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उपविनियम (9) में पारित आदेशों को धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और उपविनियम (9) के अधीन पारित आदेश के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को भेजेगा।

(12) जहाँ पर अनुज्ञापत्रधारी उपविनियम (7) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है, ब्यूरो करेगा, -

(क) विनियम 7 के उपविनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को दी गई अनुज्ञा को वापस लेगा;

(ख) धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप अनुज्ञापत्रधारी द्वारा असफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ ब्यूरो द्वारा जारी आदेश खंड (क) के अधीन विचार के लिए और धारा 14 के खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा;

(ग) उपभोक्ताओं के फायदे के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से किसी भी अनुज्ञापत्रधारी के नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करेगा जो वह दो मास के भीतर ठीक समझे; और

(घ) संबंधित राज्य अभिहित अभिकरणों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध आगे की न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण:-ब्यूरो विनियम 7 के अधीन दी गई मंजूर की गयी अनुज्ञा को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञापत्रधारी-

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है;

(ग) विनियम 11 के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है; और

(घ) कोई भी अनुज्ञा अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं की जाएगी।

अभय बाकरे, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन-III/4/असा./663/2022-23]


अनुसूची

(विनियम 3 का उपविनियम (2) देखें)

हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित होने वाली विशिष्टियां।

1. लेबल डिजाइन

(i) आयाम:




(ii) लेबल के लिए रंग योजना:

नेवी ब्लू - सी: 97, एम: 95, वाई: 6, के: 1

हरा - सी: 81, एम: 10, वाई: 90, के: 1

टिप्पण: ब्यूरो का लोगो और स्टार फिलर के नीचे केवल हरे रंग में तथा सभी फोंट और ब्यूरो के लोगो का शीर्ष नीले (नेवी ब्लू) में



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लोगो की रंग योजना:

नीला -

रंगत (एच) -239o संतृप्ति (एस): 64% चमकीलापन (बी): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 28, रंग संबन्धी घटक - ए:24 बी:54

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - # 363797;

हरा-

रंगत (एच) -150o संतृप्ति (एस): 10% चमकीलापन (बी): 67%


ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 61, रंग संबंधी घटक- ए:53 बी:32

लाल (आर): 0 हरा (जी): 170 नीला (बी): 87

सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - # 00एए56;

(iv) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के मुद्रित लेबल के लिए पूरा नमूना निम्न है: अर्थात्-



2.लेबल सामग्री

लेबल कार्डबोर्ड और स्वयं चिपकने वाला होना चाहिए तथा लेबल के लिए आयाम डिजाइन स्कीम में दिखायी गयी आउटलाइनों में से एक में कट लगाया जाएगा।

प्ररूप 1 - (क)

(विनियम 6 (2) देखें)

(कंपनी के शीर्षनामा पर मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन, सेक्टर-1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली - 110 066,

भारत

1. मैं/हम जो हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के विनिर्माणकर्ता / विनिर्मित हूँ/ हैं में (कारोबार का पूरा नाम) अभिनाम से (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) कारोबार चला रहा हूँ / चल रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियाँ और रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।
2. उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और संदाय के संबंध जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं। फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र या फर्म के नाम तथा उसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटोप्रति संलग्न की जाती है।
 - (क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति:को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकरणों की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा।
 - (ख) संपर्क व्यक्तिको (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के बाबत ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।
 - (ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है, ब्यूरो को संसूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं।
3. उक्त उपस्कर के उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरी/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और प्राक्कलन निम्न प्रकार से है:

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले वर्ष.....से.....तक			
चालू वर्ष.....से.....तक (प्राक्कलन)			

4. यथास्थिति एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए की लेबल प्रतिभूति फीस, इलेक्ट्रॉनिक मोड बीजक संख्यातारीख द्वारा संदत्त किया गया है।
(केवल लेबल प्रतिभूति फीस जमा करने के समय ही भरा जाना है)।
5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहकारिता प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है, और अगर दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।
तारीख दिन..... (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध 1- (प्ररूप 1-(क))

[प्ररूप 1 - (क) का पैरा 2 देखें]

1.कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक: (क) विविनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को अधिप्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ (ख) व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र (ग) लघु उद्योग प्रमाण पत्र, यदि प्रवृत्त हो (घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र	हाँ/नहीं
(ड.) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र (च) भारतीय मानक प्रमाणन अनुज्ञप्ति के विधिमान्य ब्यूरो की प्रति यदि लागू हो (छ) संदाय ऑनलाइन किए जाने के मामले में संदाय रसीद	

2. विविनिर्माण परिसर के ब्यौरे (एक से अधिक विविनिर्माण सुविधाओं के मामले में पृथक सारणी उपबंधित की जाए)

विविनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	

वेबसाइट	
कोई अन्य ब्यौरे (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम) / फर्म की मुहर

प्ररूप I - (ख)

[विनियम 6 (3) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल के उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन, सेक्टर-1, आर.के.पुरम,

नई दिल्ली - 110066

भारत

- मैं/हम ब्रांड नाम के अधीन हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के रजिस्ट्रीकृत विविनिर्माणकर्ता हूँ/हैं
.....(ब्रांड का नाम) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया यूनिक लेबल श्रृंखला कोड है
- उपरोक्त उपस्कर (कंपनी का नाम) द्वाराके ब्रांड नाम में विनिर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित होता है।
- उपकरण, उत्पाद परीक्षण प्रमाण पत्र, लेबल और संदाय के बाबत जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं और संबंधित फोटोप्रति इसके साथ संलग्न हैं।
- मानकों के अनुरूप: मैं/हम (उपस्कर का नाम) के लिए को (अधिसूचना का नाम) अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट/सुसंगत भारतीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक (मानक का नाम और संख्या) के अनुसार में गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र की प्रक्रिया द्वारा हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर को विनिर्मित या आयातित करने की पुष्टि करता हूँ।

मैंने/हमने अपनी आंतरिक प्रयोगशाला.....या स्वतंत्र प्रयोगशाला (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण की व्यवस्था की है, जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहकारिता या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहकारिता द्वारा प्रत्यायित है या

समतुल्य निकाय उपस्कर की गुणवत्ता के साथ-साथ सुसंगत भारतीय मानकों/मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन/कानूनी आदेश में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानकों की परिधि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए

प्रयोगशाला के ब्यौरे :

(क) प्रत्यायन निकाय:

(ख) प्रत्यायन प्राप्ति:

(i) प्रयोगशाला के लिए: (हाँ/नहीं)

(ii) परीक्षण मानकों के लिए: (सुसंगत उत्पाद मानक नाम/संख्या विनिर्दिष्ट करें)

(ग) ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन (हां/नहीं)

5. बीजक तारीख..... के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा दो हजार रुपए की आवेदन फीस संदत्त की गई।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस तीस रुपए प्रति लेबल का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करता हूँ/ करते हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच के मामले में सभी आवश्यक सहायता / सहयोग का विस्तार करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ब्यूरो को प्राधिकृत करता हूँ/ करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसरण में सही है और यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।

तारीख दिन..... (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध 1 - (प्ररूप 1- (ख))

[प्ररूप I- (ख) का पैरा 3 देखें]

जानकारी के ब्यौरे

1. उत्पाद / उपस्कर के ब्यौरे

1.1 साधारण (जो लागू हो ब्यौरों को पूरा भरें)

साधित्र और प्रकार
ब्रांड नाम
मॉडल का नाम और संख्या
क्रम सं.
(क) अंतः इकाई :
(ख) बाह्य इकाई :
वाट्स में पूर्ण क्षमता (सौ प्रतिशत) पर मानक शीतलन
वाट्स में पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन
परिवर्तनीय गति संपीडक (हाँ/नहीं)
ताप पम्प (हाँ/नहीं)
रेटेड वोल्टेज या वोल्टेज रेंज (वी):
रेटेड स्थितियों (ए) पर नाममात्र वर्तमान:
बीआईएस प्रमाण पत्र ब्यौरे (यदि कोई हो)
(अनुज्ञप्ति / प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
गुणवत्ता प्रणाली प्रमाण पत्र के ब्यौरे
(अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात (किलोवाट घंटा/किलोवाट घंटा)
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी ब्यौरे (जो लागू हो ब्यौरों को पूरा करें)

परीक्षण किए

गए मान:

क्रमांक	मापित मान	रेटेड मान
1.	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन (वाट)	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन (वाट)
2.	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन (वाट)	पूर्ण क्षमता (वाट) के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन
3.	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन पर विद्युत उपभोग (वाट) में	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन पर विद्युत उपभोग (वाट) में
4.	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर विद्युत उपभोग (वाट) में	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर विद्युत उपभोग (वाट) में
5.	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन पर आवृत्ति (हर्ट्ज में)	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन पर आवृत्ति (हर्ट्ज में)
6.	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर आवृत्ति सेटिंग (हर्ट्ज में)	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर आवृत्ति सेटिंग (हर्ट्ज में)
7.	किलोवाट घंटा में शीतलन आवर्तक विद्युत उपभोग	किलोवाट घंटा . में शीतलन आवर्तक विद्युत उपभोग
8.	किलोवाट घंटा में शीतलन आवर्तक कुल भार	किलोवाट घंटा में शीतलन आवर्तक कुल भार
9.	भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात, यानी शीतलन आवर्तक कुल भार/ शीतलन आवर्तक ऊर्जा उपभोग	भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात, यानी शीतलन आवर्तक कुल भार/ शीतलन आवर्तक ऊर्जा उपभोग
10.	स्टार रेटिंग	स्टार रेटिंग

2. परीक्षण प्रयोगशाला के ब्यौरे

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
---------------------------	--

प्रत्यायन स्थिति (i) प्रयोगशाला के लिए (ii) सुसंगत मानकों के लिए (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	हां / नहीं
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	


3. लेबलिंग की जानकारी

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए स्टार लेबल और प्रवृत्त की जाने वाली इकाइयों की संख्या क) प्रथम वर्ष के लिए – ख) दूसरे वर्ष के लिए – ग) तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद क्रम सं.	----- से ----- तक

4. मॉडल के ब्यौरे :

मॉडल या मॉडल की श्रेणी (यदि प्रवृत्त हो)	मॉडल का नाम/मॉडल नंबर
आधार मॉडल	
चाइल्ड मॉडल	

5. हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है:



(मॉडलों की श्रेणी के लिए अलग नमूना संलग्न करें (यदि प्रवृत्त हो))

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 2 - (क)

[विनियम 7(1) (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार -

1. ब्यूरो आपको इस पत्र के उपाबंध में दिए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसरण में अपने ब्रांड को रजिस्टर करने की अनुज्ञा देता है।
2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है-
 - (क) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) और पूर्वोक्त विनिबंधनों में उपबंधित निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिसूचित हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाना जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल मुद्रित किया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करता है कि हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल हर समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
 - (ङ.) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों का एक विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। वही ब्यौरे ब्यूरो को एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा और जब ब्यूरो चाहेगा, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
3. अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना, अनुज्ञा की विधिमान्य अवधि के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर को वापस नहीं लेगा।
4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समनुदेशित यूनिक लेबल श्रृंखला कोड है और इसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसरण में लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5. यह तारीखमास का दिन.....वर्ष को हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया गया है।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध 1- (प्ररूप 2- (क))

[प्ररूप 2-(क) के पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्यौरे

1.कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	

1. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम:

2. यूनिक श्रृंखला कोड:

3. अन्य ब्यौरे (यदि लागू हो) :

तारीख.....

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 2 - (ख)

[विनियम 7(1) (ख) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा/नवीनीकरण

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस उपाबंध में उपवर्णित अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसरण में लेबल चिपकाने की अनुज्ञा देता है।
2. यह अनुज्ञा इस शर्त के अधीन है कि -
 - (क) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) और पूर्वोक्त विनिबंधनों में उपबंधित किए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिसूचित हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लिए ऊर्जा उपभोग मानक के अनुरूप होगा;
 - (ख) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के केवल ऐसे मॉडल के लेबल पर मुहर लगाई जाएगी जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल को मुद्रित या चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर संप्रदर्शित स्टार स्तर सभी समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
 - (ङ.) अनुज्ञापत्रधारी प्रति लेबल तीस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों का एक विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। वही ब्यौरे ब्यूरो को एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) वही ब्यौरे एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (ज) अनुज्ञापत्रधारी हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा और जब ब्यूरो चाहेगा, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
3. यह अनुज्ञा..... से.....तक प्रभावी और विधिमान्य होगी और इसे नवीकृत किया जा सकेगा। अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना अनुज्ञा की विधिमान्यता अवधि के दौरान बाजार से हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर को वापस नहीं लेगा।

4. यह तारीख मास का दिन वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया और मुहरबंद किया गया।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध I- (प्ररूप 2- (ख))

[प्ररूप 2-(ख) के पैरा 1 देखें]

अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

(क) ब्रांड:

(ख) मॉडल के ब्यौरे:

मॉडल या मॉडल की श्रेणी (यदि प्रवृत्त हो)	मॉडल नाम	मॉडल नंबर
आधार मॉडल		
चाइल्ड मॉडल		

(ग) हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के प्रकार:

(घ) तकनीकी विनिर्देश:


क्रम सं.	मापित मान	रेटेड मान
1.	मानक शीतलन क्षमता पर पूर्ण क्षमता (वाट)	मानक शीतलन क्षमता पर पूर्ण क्षमता (वाट)
2.	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर आधी क्षमता	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर आधी क्षमता
3.	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर पूर्ण विद्युत इनपुट / उपभोग	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर पूर्ण विद्युत इनपुट / उपभोग
4.	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर आधी विद्युत इनपुट / विद्युत का उपभोग	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर आधी विद्युत इनपुट / विद्युत का उपभोग
5.	पूर्ण क्षमता में मानक शीतलन पर आवृत्ति (हर्ट्ज में)	पूर्ण क्षमता में मानक शीतलन पर आवृत्ति (हर्ट्ज में)
6.	आवृत्ति सेटिंग (हर्ट्ज में) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन में	आवृत्ति सेटिंग (हर्ट्ज में) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन में
7.	किलोवाट घंटा . में शीतलन आवर्तक विद्युत उपभोग	किलोवाट घंटा . में शीतलन आवर्तक ऊर्जा उपभोग
8.	शीतलन आवर्तक कुल भार किलोवाट घंटा में	शीतलन आवर्तक कुल भार किलोवाट घंटा में
9.	भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात्, शीतलन आवर्तक कुल भार / शीतलन आवर्तक	भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात्, शीतलन आवर्तक कुल भार /

	ऊर्जा का उपभोग		शीतलन आवर्तक ऊर्जा का उपभोग	
--	----------------	--	-----------------------------	--

2. लेबल के ब्यौरे :-

साधित्र और प्रकार	
विनिर्माता/आयातक/ब्रांड का नाम	
मॉडल और विविनिर्माण का वर्ष	
स्टार स्तर	
शीतलन क्षमता (पूर्ण क्षमता)	
शीतलन क्षमता (आधी क्षमता)	
प्रति वर्ष इकाइयों में विद्युत का उपभोग	
परिवर्तनीय गति संपीडक (हाँ / नहीं)	
ताप पंप (हाँ / नहीं)	
लेबल अवधि	
यूनिक श्रृंखला कोड	

- लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग स्कीम की सामग्री इन विनिबंधनों की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसरण में होगी।
- हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर की प्रत्येक इकाई पर लगाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है (मॉडल की श्रेणी के लिए अलग नमूने उपाबद्ध हैं)



पत्र में यूनिक लेबल श्रृंखला कोड दिया गया है जिसे हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है।

तारीख

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 3

[विनियम 7(2) देखें]

अनुज्ञापत्रधारियों का रजिस्टर

क्रमांक	आवेदन संख्या और अनुज्ञा-पत्र की तारीख।	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फ़ोन) नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल, वेबसाइट।	उन उपस्करों के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है।	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल श्रृंखला।	वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेबल प्रतिभूति फीस की रकम		(इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): तारीख:) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस		आवेदन फीस प्राप्त रकम के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): :) तारीख।		
(8)		(9)		(10)		
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में चिपकाए गए लेबलों की संख्या।		देय लेबलिंग फीस की रकम।		प्राप्त रकम का लेबलिंग शुल्क विवरण इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे):दिनांक: से प्राप्त रकम की लेबलिंग फीस के ब्यौरे	टिप्पणियां	
(11)		(12)		(13)	(14)	

प्ररूप 4

[विनियम 7 (7) देखें]

विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की गयी घोषणा

(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय/अनुज्ञापत्रधारी के शीर्षनामा पर)

तारीख:

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर के पुरम,

नई दिल्ली-110066

भारत।

विषय: से प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

मैं/हम हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के विनिर्माता/आयातकर्ता हूँ। जो (कंपनी के पूरे पते के साथ नाम) (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) के अभिनाम से कारोबार चला रहा हूँ/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 में, ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ। करते हैं जो से स्टार लेबल पर पुनरीक्षण के लिए जाएगा।

- उपरोक्त उपस्कर (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) द्वारा विनिर्मित या आयातित किया जाता है और इसे (कारखाने का नाम और पता) पर विनिर्मित किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;
- नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लिए अधिसूचना संख्यातारीख..... के अनुरूप हूँ।
- उपरोक्त उपस्कर (जो पूर्वतर अनुमोदित किए गए थे) के संबंध में अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है।
- हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के बाबत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसरण में) की एक प्रति संलग्न है।

स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसरण में उपस्कर/मॉडल के ब्यौरे

मॉडल नाम _____

विशिष्टियां	घोषित मान	
मानक शीतलन क्षमता पर पूर्ण क्षमता (वाट)	--	
मानक शीतलन क्षमता पर आधी क्षमता (वाट)	--	
विद्युत उपभोग (इकाइयों / वर्ष)	--	
भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसरण में)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसरण में)

- मैं/हम मैन्युअल आवेदन और ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को (विद्यमान स्टार लेबल स्तर) से (पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर) में परिवर्तन के लिए सहमत हूँ/हैं।
- मैंने/हमने उक्त हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डेटा और लेबलिंग फीस जमा कर दी है।
- मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहकारिता प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

10. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचनाएं मेरे/हमारे सर्वात्म ज्ञान के अनुसरण में सही हैं, और यदि दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम) / फर्म की मुहर

प्ररूप 5

[विनियम 11 (3) देखें]

चुनौती परीक्षण/दूसरा परीक्षण प्रमाणित करने के लिए अनुज्ञा पत्र धारी को सूचना

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्रांक संख्या के अधीन हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा तारीख उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन दी गई थी।

2. ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में विनियम 11 के अधीन, आपके प्राधिकृत वितरक/व्यौहारी/खुदरा विक्रेता से बीजक संख्यांक तारीख द्वारा रुपए की कीमत पर स्टार लेबल वाले हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने खरीदा था और उसे स्वतः परीक्षण या चुनौती परीक्षण के प्रयोजन के प्रयोजन से तारीख द्वारा नमूने के रूप में लिया था। पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियों के समापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त अभिकरण मैसर्स द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदे गए हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर चिपकाए गए थे। मैसर्स द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद नमूना जिसका क्रम संख्यांक था, को सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन मैसर्स (वितरक, व्यौहारी, खुदरा विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स को तारीख की अधिसूचना संख्यांक का.आ के पैरा 4, 5 और 6 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसरण में परीक्षण करने और तारीख की अधिसूचना संख्यांक का.आ के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसरण में परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

4. उत्पाद के ब्यौरे और परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न है। अतः अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला के लिए प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित (प्रयोगशाला का नाम) से स्वतः परीक्षण/चुनौती परीक्षण (जो लागू हो) आयोजित कर रहा है।
5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो सूचित करता है -
- (i) नामनिर्दिष्ट अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर को दर्शाने (मूल रूप में) एक प्राधिकार पत्र के साथ विनिर्दिष्ट उपरोक्त तारीख पर अधिकारी को चुनौती परीक्षण / दूसरा परीक्षण प्रमाणित करने के लिए नामनिर्दिष्ट करें (कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी)।
- (ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्यय की ऐसी लागत जमा करें, जैसा कि उपाबंध में उल्लिखित किया गया है (व्यय को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा किया जाएगा)।
6. कृपया ध्यान दें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन करना जारी रखेगा, भले ही उपरोक्त व्यय समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को विनिर्दिष्ट के अनुसार नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो और इस मामले में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के विनियम (5) आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
7. हस्ताक्षरित, मुहरबंद और तारीख.....मास वर्ष का दिन।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. उत्पाद के ब्यौरे/ स्वतः प्रेरणा परीक्षण के परिणाम
2. उपाबंध 5 (क)
3. व्ययों से संबंधित बीजक

उपाबंध 1- (प्ररूप -5)**[प्रारूप 5 के पैरा 5 देखें]****जानकारी के ब्यौरे**

1. चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण के लिए उठाए गए उत्पाद या उपस्कर के ब्यौरे

ब्रांड का नाम:
यूनिक लेबल श्रृंखला कोड:
मॉडल का नाम/मॉडल नंबर:
हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के प्रकार: विभाजित करें
परिवर्तनीय गति संपीड़क: हाँ /नहीं

विविनिर्माण का वर्ष:
रेटेड क्षमता (किलोवाट)
रेटेड शीतलन किलोवाट घंटा में आवर्तक ऊर्जा का उपभोग:
किलोवाट घंटा/किलोवाट घंटा में रेटेड भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात:
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर:

2. ब्यूरो को जमा की जाने वाली रकम:

ब्यौरा	संख्या / व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल खरीद लागत	
कुल परीक्षण फीस	
परिवहन फीस (यदि प्रवृत्त हो तो)	
अन्य (यदि प्रवृत्त हो)	
अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम	

3. आपके स्वतः संज्ञान परीक्षण के परिणाम (यदि प्रवृत्त हो):

ब्रांड	मॉडल	रेटेड शीतलन आवर्तक ऊर्जा का उपभोग	रेटेड शीतलन आवर्तक कुल भार	रेटेड भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात	स्टार रेटिंग (घोषित)	स्टार रेटिंग (जाँच परीक्षण)	टिप्पणियाँ

तारीख:

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्रारूप 6

[विनियम 11 (8) देखें]

दूसरे जाँच परीक्षण में असफल रहने पर अनुज्ञापत्रधारी को निदेश

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियाँ और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या के अधीन तारीख को उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई थी।।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आपके प्राधिकृत वितरक या ब्यौहारी या खुदरा विक्रेता से बीजक संख्यांक तारीख को लेबल लगा स्टार हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर खरीदा था। चुने गए नमूनों के पूर्ण खरीद और परीक्षण ब्यौरे आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्यांक तारीख प्ररूप 5 में भेजे गए थे। आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित परीक्षण प्रयोगशाला नाम पता पर नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए उपस्थित हों और देखें।
3. दूसरे जांच परीक्षण के लिए नमूने तारीख (दिन/मास/वर्ष) को लिए गए थे, हमारे प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से मेसर्स द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद द्वारा ले जाने वाली प्रत्यायित प्रयोगशाला को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को ले जाया गया और उक्त प्राप्त किए गए नमूने पर समूहभूत विशिष्ट पहचान क्रम संख्या आपके प्रतिनिधि के साथ सत्यापन अभिकरण को सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन दिया गया था।
4. दूसरे जांच परीक्षण की जाँच के परिणाम संलग्न हैं जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिकों द्वारा सम्यक रूप से जांच और प्रति हस्ताक्षरित हैं। परीक्षण रिपोर्ट दूसरे जांच परीक्षण के गवाह के रूप में आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक रूप से हस्ताक्षरित की गयी है। परीक्षण का परिणाम पुष्टि करता है कि वे संख्या एस.ओ. तारीख में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों और बाजार में विनिर्मित और बेचे जाने वाले हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर चिपकाए गए लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं।
5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (4) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में, आपको निम्नलिखित का अनुपालन करने के लिए निदेशित किया जाता है, अर्थात्: -
 - हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक किया जाए या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर किया जाए;
 - ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लिए जाएं; तथा
 - विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों का परिवर्तन किया जाए।
6. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिनों के भीतर प्ररूप 7 में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया जाता है, अर्थात्
7. यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (5) के अनुसार कार्रवाई करेगा।
8. ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (4), (5), (6) और (7) के अनुसरण में मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट

प्ररूप 7

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

[विनियम 11 (8) देखें]

(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत किया जाए)

तारीख

सेवा में,

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आरके पुरम, नई दिल्ली-110 066

भारत।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, हमें हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के विनिर्माता/आयातक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या. तारीख.....मॉडल नंबर के लिएऊर्जा उपभोग मानक के अनुरूप हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में, हमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या..... तारीख..... के अधीन निदेश दिए गए थे।

ब्यूरो द्वारा जारी निदेश को ध्यान में रखते हुए, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	कार्रवाई का निदेश	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें	हाँ/नहीं/लागू नहीं होतास्टार से स्टार तक स्टार स्तर सही किया गया है। तारीख से प्रवृत्त
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और	हाँ/नहीं/ लागू नहीं होता	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियां परिवर्तित करें.	हाँ/नहीं/लागू नहीं होता	हां/नहीं/ लागू नहीं होता

उपर्युक्त घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसरण में सही है।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम

.....के लिए और उनकी ओर से

कंपनी/फर्म का नाम

फर्म का नाम/ फर्म की मुहर

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 27 February, 2023

No. BEE/S&L/LCAC/37/2022-23.- Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2022, were published vide notification number BEE/S&L/LCAC/37/2022-23 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 24th August, 2022;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Form” means a form appended to these regulations;
- (c) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the light commercial air conditioner;
- (d) “Light Commercial Air Conditioners” means room air conditioner specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act. It covers light commercial air conditioner having rated capacity above 10,500 Watts up to and including 18,000 Watts;
- (e) “label period” means the validity period of the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;

Provided that if, by the ending timeline of the label validity period, the new energy consumption standards under section 14 (a) of the Act are not notified, the existing standards shall deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

- (f) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) “Schedule” means the schedule annexed to these regulations;
- (h) “Star rating or Star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the light commercial air conditioner based on energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (i) “trader or seller” in relation to any light commercial air conditioner means a person who sells or distributes such light commercial air conditioner and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such air conditioner.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.— (1) On every light commercial air conditioner, the following particulars shall be displayed on its label, namely:–

- (a) star level;
- (b) indian Seasonal Energy Efficiency Ratio;
- (c) label validity period;
- (d) appliance or type of air conditioner;
- (e) the name of manufacturer or importer and brand;
- (f) model or year of manufacturing or import;

- (g) cooling capacity (hundred per cent.) in Watts;
- (h) cooling capacity (fifty per cent.) in Watts;
- (i) electricity Consumption in units per year;
- (j) compressor Type;
- (k) logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (l) name of appliance; and
- (m) unique series code;

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.-

(1) Transition from Voluntary to Mandatory Regime.- A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every light commercial air conditioner within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) Revision of Mandatory Energy Consumption Standards.- On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act for the appliance, every permittee or trader or seller.-

- (a) shall not produce the light commercial air conditioner with previous energy consumption standards;
- (b) shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the light commercial air conditioner in synchronisation with revised energy consumption standards;
- (c) shall take necessary preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken three months in advance.

5. Manner of display of label.-(1) Every manufacturer, seller or trader shall display on either side of front panel of every light commercial air conditioner a label at the time of sale and the label shall be either adhere to, or be attached as a swing tag, on it.

(2) For units not on display, the label may be attached to the exterior of the casing of the light commercial air conditioner and the label may be attached to the unit when the unit is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label.-(1) No star label shall be affixed on a light commercial air conditioner without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by any acceptable electronic mode of payment; and
- (b) documents specified in Form I – (B).

7. Grant of permission. -(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labeling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –

- (a) register the brand in Form II-(A) or in electronic form; and
- (b) grant permission for affixing label on light commercial air conditioner in Form II-(B) or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of permittee therein.

(3) The permission granted under sub-regulation (1) shall be valid for the duration for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II – (B).

(6) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee may make a fresh application.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the light commercial air conditioner from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration according to Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix a label afresh, if a new model of the light commercial air conditioner is to be launched synchronising with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, seller or trader shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:—

- (a) the star level displayed on the label of the light commercial air conditioner shall conform to energy consumption standards notified under clause (a) section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of light commercial air conditioner for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the light commercial air conditioner at the cost of the permittee;
- (d) star level displayed on the label of light commercial air conditioner shall be maintained at all time;
- (e) pay the label fee as specified in regulation;
- (f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers and sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year; and
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling.

9. Label fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees thirty on each label affixed on the light commercial air conditioner.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under sub-regulation (2) of regulation 6 and if the total amount of labeling fee is not recovered within one year of the last date of payment, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security deposit.- Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to refund of the label security fee on ceasing to manufacture light commercial air conditioner.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau may, either *suo motu*, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the light commercial air conditioner conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission. All tests including the power consumption, capacity tests, power factor and maximum operating condition tests shall be conducted by the Bureau or through its designated agency using enthalpy method or calorimeter for the purpose of verification and challenge testing.

(2) For the purpose of verification, the samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the light commercial air conditioner in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, and a notice shall be issued to the permittee in Form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau.

(4) If the sample drawn under challenge testing fails, all expenses as specified shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall be forfeited.

(5) Where a sample of light commercial air conditioner used for testing fails the test during *suo motu* testing or challenge testing, the Bureau shall offer the permittee another opportunity and conduct a second test with twice the quantity of light commercial air conditioner used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee.

(6) The Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(7) Where, the permittee fails to make such expenses, the Bureau shall -

(a) continue the verification by challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4);

(b) stop further processing of application received under regulation 6;

(c) cancel all the labels granted to the permittee under regulation 7, after six months from the date of issuance of Form V.

(8) Where the second test fails, the Bureau shall -

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State designated agencies, that the permittee within a period of two months shall,-

(i) correct the star level displayed on the label of the light commercial air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;

(c) intimate to the concerned State designated agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(9) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (7) send the compliance report in Form VII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction.

(10) If the compliance report referred to in sub-regulation (8) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed to have been not complied with the direction issued and the Bureau shall order to that effect.

(11) The Bureau shall send the compliance report referred to in sub-regulation (8) and orders passed in sub-regulation (9) to all the State designated agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under the sub-regulation (9).

(12) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (7), the Bureau shall,-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send a report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14, the orders issued by the Bureau under clause (a) for consideration and for taking action by the Central Government under clause (c) of section 14;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and

(d) intimate to the concerned State designated agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission. - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee,-

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) fails to comply with the directions issued under regulation 11 and

(d) Provided that no permission shall be cancelled without giving an opportunity of being heard to the permittee.

ABHAY BAKRE, Director General, Bureau of Energy Efficiency


[ADVT.-III/4/Exty./663/2022-23]

SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on label of Light Commercial Air Conditioner.


1. Label design



(i) Dimension:

(ii) Colour scheme for the label :

NAVY BLUE – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1**GREEN** – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1**Note:** Bottom of Bureau's logo and star filler in **GREEN** colour only and all fonts and top of Bureau's logo in **NAVY BLUE**



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%


Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for light commercial air conditioner:



2. Label material

The label shall be of durable cardboard and self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed on Company letter head)

Application for registration of brand of light commercial air conditioner under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency, (Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi – 110 066,

India

1. I/We am/are the manufacturer/manufacturers of light commercial air conditioner carrying out business at..... (full business address) under the style of (full

name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on light commercial air conditioners as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023.

2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.
- (a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.
- (b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
- (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above
3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from.....to			
Current year from..... to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be..... has been paid by electronic mode invoice no.....dated.....
- (To be filled only at the time of submission of label security fee).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of.....(Year)

Signature

Name

Designation.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure I- (Form I-(A))**[See para 2 of Form I – (A)]****1. Details of the Company**

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	Yes/No
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorized signatory letter	
(f) Copy of valid Bureau of Indian standard's certification license, if applicable	
(g) Payment receipt in case payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

FORM I – (B)**[See regulation 6 (3)]**

Application for permission to affix label on light commercial air conditioner under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2023

**The Director General,
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan, Sector-I, R.K.Puram,
New Delhi - 110066 India**

1. I/We am/are the registered manufacturer/manufacturers of light commercial air conditioners under the brand name(Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is.....
2. The above equipment is manufactured or imported by.....(Name of the company) in the brand name of..... and is manufactured at(Name and address of the factory).
3. The details of the information in respect of the equipment, product test certificate, labels and payment is given in Annexure and relevant photocopies are enclosed herewith.
4. Conformance to standards : I/We conform that light commercial air conditioner manufactured or imported by us possess the quality system certificate that conforms to relevant Indian/International standards (name and number of the standard) as specified in the notification on(title of the notification) for the..... (name of the equipment).

I/We have made arrangements for testing at our in-house laboratory_____or _____ at independent laboratory.....(Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian standards or International organisation for standardization/International electrotechnical commission standards as specified in Statutory order.....

Laboratory details:

- (a) Accreditation Body:
- (b) Accreditation status:
 - (i) For laboratory: (yes/no)
 - (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)
- (c) Bureau of Energy Efficiency approval for the Brand (Yes/No):

5. An application fee of two thousand rupees has been paid by electronic mode vide invoice dated.....
6. I/We agree to pay the labelling fee of thirty rupees per label as specified by the Bureau.
7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
8. I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of(Year)

Signature

Name

Designation.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm) / Seal of the Firm

Annexure I –(Form I-(B))

[See para 3 of Form I – (B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and type
Brand name
Model name and number
Serial number
(a) Indoor unit:
(b) Outdoor unit:

Standard Cooling at full capacity (hundred percent) in Watts
Standard Cooling at fifty percent of full capacity in Watts
Variable Speed Compressor (yes/no)
Heat Pump (yes/no):
Rated voltage or voltage range (V):
Nominal current at rated conditions (A):
BIS certificate details (if any) (Attach copy of the license / certificate)
Quality system certificate details (Attach copy of the license/certificate)
Indian seasonal energy efficiency ratio (kWh/kWh):
Star rating

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)

Tested values:

S.No.	Measured values	Rated values
1.	Standard cooling at full capacity (W)	Standard cooling at full capacity (W)
2.	Standard cooling at fifty per cent of full capacity (W)	Standard cooling at fifty per cent of full capacity (W)
3.	Power consumption (in W) at standard cooling at full capacity	Power consumption (in W) at standard cooling at full capacity
4.	Power consumption (in W) at standard cooling at fifty per cent of full capacity	Power consumption (in W) at standard cooling at fifty per cent of full capacity
5.	Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity	Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity
6.	Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent of full capacity	Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent of full capacity
7.	Cooling seasonal energy consumption in kWh	Cooling seasonal energy consumption in kWh
8.	Cooling seasonal total load in kWh	Cooling seasonal total load in kWh
9.	Indian seasonal energy efficiency ratio, that is, Cooling seasonal total load / Cooling seasonal energy consumption	Indian seasonal energy efficiency ratio that is, Cooling seasonal total load / Cooling seasonal energy consumption
10.	Star Rating	Star Rating

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For laboratory (ii) For relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	Yes/No
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	


3. Labelling information

Date of commencement	
Number of units to be star labeled and applied to Bureau of energy efficiency a) for the first year - b) for the second year - c) for the third year -	
Product serial No.	From _____ To _____

3. Model Details:

Model or family of models (if applicable)	Model name/model number
Base model	
Child models	

1. Specimen of the label to be affixed on the light commercial air conditioner is shown below:



(Annex separate specimen for family of models (if applicable))

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of light commercial air conditioner under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023

New Delhi, dated.....

To

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023

1. The Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of light commercial air conditioner shall conform to energy consumption standards for light commercial air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the affixing of label only on such model of light commercial air conditioners for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixing of label on the light commercial air conditioners at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the light commercial air conditioners shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee making available such other details of light commercial air conditioner as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the light commercial air conditioner from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth.....year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure I – (Form II-(A))

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

1. Name of the brand registered:
2. Unique series code:
3. Other Details (if applicable):

Dated:.....

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II – (B)

[See regulation 7 (1) (b)]

Permission/renewal of permission to affix label on light commercial air conditioner under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023

New Delhi, dated.....

To

.....
.....
.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.
2. This permission is subject to the condition that —
 - (a) the star level displayed on the label of the light commercial air conditioner shall conform to energy consumption standard for light commercial air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be stamped only on such model of light commercial air conditioner for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed or affixed on the light commercial air conditioner at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the light commercial air conditioner shall be maintained at all times;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of thirty rupees per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau, a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
 - (g) the same details shall be furnished to the Bureau through automated system;
 - (h) the permittee shall make available such other details of light commercial air conditioner as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid with effect fromto.....and may be renewed. The permittee shall not withdraw the light commercial air conditioner from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure I- (Form II-(B))**[See para 1 of Form II-(B)]****Details of Approval****1. Details of the equipment****(a) Brand:****(b) Model details:**

Model or family of models (if applicable)	Model name	Model number
Base model		
Child model		


(c) Type of light commercial air conditioner:**(d) Technical specification:**

S.No.	Measured values	Rated values
1.	Full Capacity at Standard Cooling Capacity (W)	Full Capacity at Standard Cooling Capacity (W)
2.	Half capacity at standard cooling capacity (W)	Half capacity at standard cooling capacity (W)
3.	Full power input/consumption at standard cooling capacity (W)	Full power input/consumption at standard cooling capacity (W)
4.	Half power input/power consumption at standard cooling capacity (W)	Half power input/power consumption at standard cooling capacity (W)
5.	Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity	Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity
6.	Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent. of full capacity	Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent. of full capacity
7.	Cooling seasonal energy consumption in kWh	Cooling seasonal energy consumption in kWh
8.	Cooling seasonal total load in kWh	Cooling seasonal total load in kWh
9.	Indian seasonal energy efficiency ratio that is, Cooling seasonal total load / Cooling seasonal energy consumption	Indian seasonal energy efficiency ratio that is, Cooling seasonal total load / Cooling seasonal energy consumption

2. Details of label:-

Appliance and type	
Name of the manufacturer/importer/brand	
Model and year of manufacturing	
Star level	
Cooling capacity (Full Capacity)	
Cooling capacity (Half Capacity)	
Electricity consumption in units per year	
Variable speed compressor (yes/no)	
Heat pump (yes/no)	
Label period	
Unique series code	

1. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule to these regulations.
2. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on each unit of light commercial air conditioner is shown below (Separate specimens for family of models is annexed)



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the light commercial air conditioner.

Date

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency`

FORM III

[See regulation 7(2)]

Register of Permittees

S. No.	Application number and Date of permission.	Name and details of the permittee (Contact person, address, Pin code, State, Phone number, Fax number, E- mail, Website).	Details of equipment for which the permission has been granted.	Star level or efficiency level declared.	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series.	Period for which the permission has been granted.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Amount of label security fee.		Label security fee received by (Electronic transaction (Details): Date:)		Application fees details of amount received (Electronic transaction (Details): Date :).		
(8)		(9)		(10)		
Number of labels affixed at the end of each financial year.		Amount of labeling fee due.		Labelling fee details of amount received Electronic		Remarks

		transaction (Details): Date:).	
(11)	(12)	(13)	(14)

Form IV

[See regulation 7 (7)]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model**(For each different model, a separate letter shall be submitted along with the respective Annexure)****(On the letter head of corporate body or permittee)****Date:**

To

The Director General,
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India),
4th Floor, Sewa Bhawan, Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110066 India.

Subject: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023) on revision of star level effective from

I/ We are the manufacturers or importers of light commercial air conditioner carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on light commercial air conditioner as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023 which would go for revision of star level with effect from

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

1. Conformance to new star level: I/We conform to the notification S.O. numberdated for light commercial air conditioner.

2. A copy of the approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

3. A copy of the Bureau of Energy Efficiency label (as per revision of star level change) in respect of the light commercial air conditioner is enclosed.

Details of the equipment / model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared values	
Full Capacity at Standard Cooling Capacity (W)	--	
Half capacity at standard cooling capacity (W)	--	
Electricity consumption (units/year)	--	
Indian seasonal energy efficiency ratio	--	
Star rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

1. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application and in the online web portal.

2. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said light commercial air conditioner model.

3. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

4. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

5. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of.....Year)
Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
(Name of the firm)

Seal of the Firm

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To

New Delhi, dated the....

.....
.....
.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the light commercial air conditioner vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled light commercial air conditioner from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample dated by for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s.....an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased light commercial air conditioner. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s....., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4, 5 and 6 of the notification number S.O.....dated..... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the suo motu test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023, the Bureau is conducting *suo motu* test or challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023, the Bureau hereby intimates to -

(i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorised signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through an electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the

forementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023.

7. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth.....year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ suo motu test results
2. Annexure V(a)

Invoice related to the expenses

Annexure I- (Form –V)

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Type of light commercial air conditioner: Split
Variable speed compressor: Yes/no
Year of manufacturing:
Rated Capacity (KW)
Rated cooling seasonal energy consumption in kWh :
Rated Indian seasonal energy efficiency ratio in kWh/kWh :
Star rating or star level:

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of suo moto test (if applicable):

Brand	Model	Rated cooling seasonal energy consumption	Rated Cooling seasonal total load	Rated Indian seasonal energy efficiency ratio	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Dated:-----

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM VI**[See regulation 11 (8)]****Direction to permittee on failure of second check testing**

To

New Delhi, dated the.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the light commercial air conditioner vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023 had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled light commercial air conditioners from your authorised distributor or dealer or retailer vide invoice numberdated..... The complete

procurement and test details of the samples picked were sent to you in Form V vide Bureau of Energy Efficiency letter no..... dated.... You were also requested to attend and witness the second check verification test of the samples at (Name).....Address..... of the test laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory.

3. The sample for second check verification test were picked up on..... dated (DD/MM/YYYY) the..... through our authorised Agency M/s..... and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained from..... under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

4. The result of the test of second check testing are enclosed which are duly checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test reports are also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The result of the test confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in number S.O.dated....and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the light commercial air conditioner manufactured and sold in the market.

5. Pursuant to the provisions of clause (a) of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of light commercial air conditioner) Regulations, 2023, you are hereby directed to comply with the following, namely:-

- correct the star level displayed on the label of the light commercial air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;
- withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- change the particulars displayed on advertising material.

6. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VII within ten days after the expiry of two months that is, by.....

7. In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of sub-regulation(5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023.

8. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulations (4), (5), (6) and (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2023.

Yours faithfully,**(Secretary)****Bureau of Energy Efficiency**

Enclosures:

1. Test reports of the failed model

Form VII**Action Taken Report****[See Regulation 11 (9)]****(To be furnished on letter head of the organisation)**

To

Dated.....

The Secretary,
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066 - India.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2023, we M/s the Manufacturer/importer of light commercial air conditioners were permitted to affix label on the light commercial air conditioner conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2023, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated to take necessary corrective action.

In the light of directive issued by the Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action directed	Status	Action taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the light commercial air conditioner to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star tostar with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....

Name

Designation;.....;

For and on behalf of.....

Name of the Company/Firm etc

Name of the Firm / Seal of the Firm